तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
25.3.26	पंत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। यह निगरानी प्रार्थी महेश शर्मा द्वारा ग्राम पंचायत समदड़ी स्टेशन द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 62 दिनांक 31.08.2023 के विरुद्ध पेश की गई थी। दौराने सुनवाई प्रार्थी महेश शर्मा द्वारा इस न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 17.03.2026 इस आशय का पेश किया गया कि वह उक्त प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता है और इसे वापस (Withdraw) लेना चाहता है। हमने पत्रावली में पक्षकारान की बहस सुनी तथा विड्रोल प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, जिसमें प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट किया है कि वह उक्त प्रकरण को अपनी स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के निरस्त करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर निगरानी वापस लेने का अनुरोध करने के कारण इस निगरानी को आगे चलाए रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विड्रो प्रार्थना पत्र (Withdrawal Application) स्वीकार किया जाता है। तदनुसार, यह निगरानी प्रार्थी द्वारा वापस लेने के आधार पर खारिज (Dismissed as Withdrawn) की जाती है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नंबर से कम हो। जिला कलक्टर बालोतरा